उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2
संख्याः जी–2–1804 / दस–2006–59 / 81
लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर, 2006

विज्ञप्ति
विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड(उत्तर प्रदेश), रूल्स 1985 के नियम 11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड(उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम–9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड(उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सकाइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–2007 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर पहली अप्रैल, 2006 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव,वित्त–II

संख्या जी–2–1804(1) / दस–2006–59 / 81,तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

संख्या जी–2–1804(2) / दस–2006–59 / 81,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4– निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22 / 3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव